पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: ce@shekhauni.ac.in

क्रमांक: 12612

दिनांक : 01/04/2026

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध अकादमिक महाविद्यालय,
जिला–सीकर एवं झुन्झुनू।

विषयः–स्नातक प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 02.04.2026 से आयोजित की जा रही है।

महाविद्यालयों में उपलब्ध पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं (2024 से पूर्व) प्रायोगिक परीक्षा हेतु काम में ली जानी है। यदि आपके महाविद्यालय में पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं हो तो नजदीकी महाविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर प्रायोगिक कार्य सम्पन्न करवाएं। नजदीकी महाविद्यालयों में भी पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध ना हों तो समय रहते विश्वविद्यालय से सम्पर्क करके उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कर लेवें।

प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूची महाविद्यालय के पोर्टल पर दिनांक 02.04.2026 से उपलब्ध करवा दी जायेगी। अतः संलग्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–प्रायोगिक परीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश।

प्रभारी, प्रायोगिक परीक्षा
दिनांक– 01/04/2026

क्रमांक: 12613–615

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलगुरू, पं. दी. उ. शे. विवि., सीकर।
2. कुलसचिव कार्यालय, पं. दी. उ. शे. विवि., सीकर।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा), पं. दी. उ. शे. विवि., सीकर।
4. रक्षित पत्रावली।

परीक्षा नियंत्रक

स्नातक प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर –2026 प्रायोगिक परीक्षा आयोजन हेतु दिशा निर्देश

स्नातक प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर प्रायोगिक परीक्षा आयोजन आज दिनांक 02.04.2026 से प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी सुनिश्चत करें:–

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/असाइनमेंट/मौखिकी के आधार पर परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जायेगी। जिन पाठयक्रमों में आन्तरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। उन पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक फाईल/असाईनमेंट/टेस्ट के आधार पर परीक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जाये।
2. बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई फाईल/असाईनमेंट की उत्तरपुस्तिकाएँ महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाये। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर इसे मांगा जा सकता है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिये गये कुल पूर्णाकों में से परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किया जावे।
4. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा।
5. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसे Decline किया जावेगा एवं इसकी सूचना ई–मेल आई. डी. ce@shekhauni.ac.in पर भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना मय साक्ष्य कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त सूचना के गलत पाये जाने पर व परीक्षक से बिना सम्पर्क किये ही मना (Declined) करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा आर्थिक दण्ड से दण्डित भी किया जायेगा।
7. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जावे। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नही किये गये है, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्डस परीक्षक पैनल पर संबंधित कक्षा के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जायेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।
9. महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंको को निर्धारित अवधि में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व/स्वयंपाठी छात्रों के अंकों को मैनूअल/ऑफलाईन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजा जाता है तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जायेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली कार्यवाही हेतु संबधित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

10. परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक / यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जावेगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक / यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जावेगा। पारिश्रमिक / यात्रा भत्ता के बिलों पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के परीक्षक को दिया जावेगा, जिन्हें परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से संबंधित आई.डी. प्रूफ, आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक रामस्त दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
11. महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि किसी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर संबंधित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जावेगी, साथ ही उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
12. यदि किसी कक्षा में अधिकतम परीक्षार्थियों की संख्या 119 तक है तो वही परीक्षक इन अतिरिक्त परीक्षार्थियों (अधिकतम 119 तक) की परीक्षा आयोजित करवायेंगे। परीक्षार्थियों की संख्या 120 होते ही अतिरिक्त 20 या 20 से अधिक परीक्षार्थियों पर दूसरा बाह्य परीक्षक लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. प्रायोगिक परीक्षा व अवार्ड भरने के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध हैल्पलाईन नम्बर 7398532208 एवं 8960032208 पर सम्पर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ई–मेल ce@shekhauni.ac.in पर सूचित करें एवं प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जावे।
14. महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेट बिलों में भी किसी प्रकार के हस्तलिखित तौर (Manually) पर परीक्षार्थियो की संख्या / अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करे। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ–साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।
15. विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निजी महाविद्यालयों के बाह्य परीक्षको द्वारा कार्यमुक्ति प्रमाण – पत्र जो कि कॉलेज लॉगिन पोर्टल पर उपलब्ध है को भरकर कॉलेज के प्राचार्य से वेरिफाई करवाकर प्राचार्य द्वारा कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करवाया जाना एवं बिल के साथ आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक

प्रभारी, प्रायोगिक परीक्षा